संख्या- 89 **/2026/I/** 1284357 **/2026/71-1001(099)/143/2021**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 30 **मार्च, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/679, दिनॉक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 545.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-24-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि कुल **रू0 310.00 लाख (रू0 तीन करोड़ दस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (निम्नानुसार एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वंय उत्तरदायी होंगे।
5. पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में प्र०वि० स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	29 अनुरक्षण	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
2	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	39 औषधि तथा रसायन	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
3	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र)**
महायोग				3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 30-03-2026 17:52:25

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-001-71-1001-099-143-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ के विभिन्न् मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्य3म से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्ब न्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

"

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	03 (मंहगाई भत्ता)	16,80,00,000 रुपये सोलह करोड़ अस्सी लाख मात्र	94,00,000 रुपये चौरानबे लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	16,30,00,000 रुपये सोलह करोड़ तीस लाख मात्र
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	01 (वेतन)	32,28,00,000 रुपये बत्तीस करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र	2,12,00,000 रुपये दो करोड़ बारह लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	30,28,00,000 रुपये तीस करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र
031	2210011101509 (नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर)	01 (वेतन)	20,18,00,000 रुपये बीस करोड़ अठारह लाख मात्र	8,14,00,000 रुपये आठ करोड़ चौदह लाख मात्र	2,95,00,000 रुपये दो करोड़ पंचानबे लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	19,58,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र
कुल					₹ 5,45,00,000	₹ 3,10,00,000	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

"

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	43 (सामग्री एवं	3,55,00,000 रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	4,05,00,000 रुपये चार करोड़ पाँच लाख मात्र	2025-202(
कुल				₹ 5,45,00,000	₹ 3,10,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		सम्पूर्ति)		मात्र			
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	42 (अन्य व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2025-202(
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	39 (औषधि तथा रसायन)	10,50,00,000 रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	11,75,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2025-202(
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	29 (अनुरक्षण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	1,35,00,000 रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र	2025-202(
कुल				₹ 5,45,00,000	₹ 3,10,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में नानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 295.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, आजमगढ में मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 200.00 लाख तथा मानक मद-03-महंगाई भत्ता में रू0 50.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 545.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 13.03.2026 द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के मानक मद-29 अनुरक्षण में रू0 200.00 लाख, मानक नद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 200.00 लाख, मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 20.00 लाख तथा मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 125.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 545.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-661-E-3-440-X-2025-26-दिनांक: 24-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्साव शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।